



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224813
CG-DL-E-30012021-224813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]
No. 385]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/ माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

का.आ. 422(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH341 के कि.मी. 65.478 से कि.मी.162.200 (जिल्ला सेवा सदन कलेक्टर ऑफिस भुज) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में NH341 के कि.मी. 65.478 से कि.मी.162.200 (जिल्ला सेवा सदन कलेक्टर ऑफिस भुज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: कच्छ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: भुज					
गांव का नाम: भुज शीम					
1	673	निजी	कृषि	0.0262000(हेक्टेयर)	0.0262000
2	677	सरकारी	सरकारी पडत	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
3	678	निजी	गैर कृषि	0.0386000(हेक्टेयर)	0.0386000
4	870/1/p16	सरकारी	गैर कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: दिनारा					
1	388	सरकारी	सरकारी पडत	0.0039000(हेक्टेयर)	0.0039000
2	389	निजी	कृषि	0.0287000(हेक्टेयर)	0.0287000
गांव का नाम: खावडा					
1	1	निजी	कृषि	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
गांव का नाम: लोरीया					
1	14	निजी	कृषि	0.0247000(हेक्टेयर)	0.0247000
2	386/2	निजी	कृषि	0.0273000(हेक्टेयर)	0.0273000
3	387/2	निजी	कृषि	0.1117000(हेक्टेयर)	0.1117000
4	388	निजी	कृषि	0.0292000(हेक्टेयर)	0.0292000
5	706	निजी	कृषि	0.1043000(हेक्टेयर)	0.1043000
6	708/2	निजी	कृषि	0.7493000(हेक्टेयर)	0.7493000
7	720/1,720/2	निजी	कृषि	0.1346000(हेक्टेयर)	0.1346000
8	721	निजी	कृषि	0.0137000(हेक्टेयर)	0.0137000

9	8	निजी	कृषि	0.0292000(हेक्टेयर)	0.0292000
10	9	निजी	कृषि	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000
गांव का नाम: रताडीया					
1	17/2	सरकारी	सरकारी पडत	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
2	19	सरकारी	कृषि	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
3	610/p	सरकारी	सरकारी पडत	0.1678000(हेक्टेयर)	0.1678000
गांव का नाम: रुद्रमाता					
1	22	सरकारी	सरकारी पडत	0.0265000(हेक्टेयर)	0.0265000
2	24	सरकारी	सरकारी पडत	0.1540000(हेक्टेयर)	0.1540000
3	26	सरकारी	सरकारी पडत	0.3122000(हेक्टेयर)	0.3122000
गांव का नाम: सरसपर					
1	103	निजी	गैर कृषि	0.0290000(हेक्टेयर)	0.0290000
कुल				2.1730	2.1730

[फा. सं. RW/NH-12012/04/2016/PS-4/GJ/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2021

S.O. 422(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH341 in the stretch of land from Km 65.478 to Km162.200 (jilla seva sadan collector office bhuj) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SUB DIVISIONAL MAGISTRATE in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections

and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH341 in the stretch of land from Km. 65.478 to Km. 162.200 of NH341 (jilla seva sadan collector office bhuj) in the district of KACHCHH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: KACHCHH			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bhuj					
Village: Bhuj Sheem					
1	673	Private	Agriculture	0.0262000(Hectare)	0.0262000
2	677	Government	Government padat	0.0278000(Hectare)	0.0278000
3	678	Private	Non Agriculture	0.0386000(Hectare)	0.0386000
4	870/1/p16	Government	Non Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Dinara					
1	388	Government	Government Padat	0.0039000(Hectare)	0.0039000
2	389	Private	Agriculture	0.0287000(Hectare)	0.0287000
Village: Khavda					
1	1	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Village: Loria					
1	14	Private	Agriculture	0.0247000(Hectare)	0.0247000
2	386/2	Private	Agriculture	0.0273000(Hectare)	0.0273000
3	387/2	Private	Agriculture	0.1117000(Hectare)	0.1117000
4	388	Private	Agriculture	0.0292000(Hectare)	0.0292000
5	706	Private	Agriculture	0.1043000(Hectare)	0.1043000
6	708/2	Private	Agriculture	0.7493000(Hectare)	0.7493000
7	720/1,720/2	Private	Agriculture	0.1346000(Hectare)	0.1346000
8	721	Private	Agriculture	0.0137000(Hectare)	0.0137000
9	8	Private	Agriculture	0.0292000(Hectare)	0.0292000
10	9	Private	Agriculture	0.0038000(Hectare)	0.0038000
Village: Ratadiya					
1	17/2	Government	Government Padat	0.0195000(Hectare)	0.0195000
2	19	Government	Agriculture	0.0010000(Hectare)	0.0010000
3	610/p	Government	Government Padat	0.1678000(Hectare)	0.1678000
Village: Rudramata					

1	22	Government	Government Padat	0.0265000(Hectare)	0.0265000
2	24	Government	Government Padat	0.1540000(Hectare)	0.1540000
3	26	Government	Government Padat	0.3122000(Hectare)	0.3122000
Village: Sarspar					
1	103	Private	Non Agriculture	0.0290000(Hectare)	0.0290000
Total				2.1730	2.1730

[F. No. RW/NH-12012/04/2016/PS-4/GJ/3A]

RAJESH GUPTA, Director